

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 05/2026-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 930(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 26/2018-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1263(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) “नामित एजेंसी” से अभिप्राय हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के अपेन्डिक्स 4बी, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है, में उल्लिखित निकाय से है;”।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी- 190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 26/2018-केंद्रीय कर(दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को सा.का.नि. 1263 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2025-केंद्रीय कर(दर), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, सा.का.नि 783 (अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 05/2026- Central Tax (Rate)

G.S.R. 930(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26/2018-Central Tax (Rate), dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1263(E), dated the 31st December, 2018, namely:-

In the said notification, in the Explanation, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -

“(c) “Nominated Agency” means entities mentioned in Appendix 4B of Handbook of Procedures, as amended by the Directorate General of Foreign Trade from time to time;”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 26/2018-Central Tax (Rate), dated the 31st December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1263(E), dated the 31st December, 2018 and was last amended *vide* notification No. 18/2025-Central Tax (Rate), dated the 24th October, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 783(E), dated the 24th October, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 05/2026- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 931(अ).— एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1266(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) “नामित एजेंसी” से अभिप्राय है डब्ल्यू ऑफ प्रोसीजर्स के अपेन्डिक्स 4वी, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है, में उल्लिखित निकाय से है;”।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी- 190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 27/2018- एकीकृत कर(दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को सा.का.नि. 1266(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2025-एकीकृत कर(दर), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, सा.का.नि 784 (अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 05/2026- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 931(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2018 -Integrated Tax (Rate), dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1266(E), dated the 31st December, 2018, namely:-